Court No. - 1

Case :- P.I.L. CIVIL No. - 11236 of 2020

Petitioner :- Nandita Bharti,Advocate
Respondent :- State Of U.P.Throu.Prin.Secy.Deptt. Of Home Lucknow And Ors.
Counsel for Petitioner :- In Person

Hon'ble Pankaj Kumar Jaiswal,J.
Hon'ble Karunesh Singh Pawar,J.

1. When the matter was taken up through Video Conferencing, Ms. Nandita Bharti, petitioner-in-person and Mr. V.K. Sahi, learned Additional Advocate General, assisted by Mr. Manjeev Shukla, learned counsel for respondents-State appeared.

2. This Public Interest Litigation has been filed by a practicing Advocate of this Court for the purpose of seeking direction for constituting a Judicial Commission headed by a former/sitting Judge of this Court to probe into the police encounter of Vikas Dubey by the U.P. Police Special Task Force Team on 10.07.2020. She has also prayed for issuance of a direction against the respondents to frame appropriate guidelines governing, planning and carrying out encounters for the purpose of protection of life and liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution of India.

3. It is submitted that on the intervening night of 02/03.07.2020, when police team went to arrest Vikas Dubey at his village, namely, Bikaru, Police Station Chaubepur, District Kanpur, eight police personnel including a Circle Officer were killed and seven others were injured in an ambush said to have been made by Vikas Dubey and his associates. On 03.07.2020, Prem Kumar Pandey and Atul Kumar were encountered by the police at Kanpur and the State authorities demolished the house of Vikas Dubey. On 08.07.2020, the Special Task Force encountered Amar Dubey at Hamirpur. On 09.07.2020, Vikas Dubey was arrested/surrendered at Mahakal Temple, Ujjain, Madhya Pradesh. Thereafter, on

10.07.2020, when U.P. Police after taking Vikas Dubey in custody and was on the way to Kanpur, Uttar Pradesh from Ujjain, Madhya Pradesh, he was also encountered.

4. Petitioner has submitted that Vikas Dubey, who was arrested from Ujjain in Madhya Pradesh for the killing of eight policemen in an ambush in Kanpur on 3.07.2020, was shot dead by the police in an alleged encounter in the morning of 10.07.2020. According to the police, the Uttar Pradesh Special Task Force (STF) was bringing him back to Kanpur from Madhya Pradesh, when Vikas Dubey tried to flee after snatching a weapon from one of the officers escorting him, leading to his encounter.

5. Petitioner has drawn our attention to the law laid down by the Apex Court in **People's Union for Civil Liberties and another vs. State of Maharashtra and others** : (2014) 10 SCC 635 and has submitted that guidelines have been framed regarding procedure to be adopted in police encounters because such police encounters affect the credibility of rule of law and the administration of criminal justice system and prayed that appropriate direction be issued for constitution of a judicial commission headed by a former/sitting Judge of this Court to probe into the police encounter of Vikas Dubey by the U.P. Police Special Task Force Team on 10.07.2020 so that matter may be enquired in terms of the guidelines framed by the Hon'ble Supreme Court in **People's Union for Civil Liberties and another vs. State of Maharashtra and others (supra)**.

6. Per contra, Sri Vinod Kumar Sahi, learned Additional Advocate General has drawn our attention to the notification issued by the State Government dated 11.07.2020 and has submitted that Special Investigating Team headed by the Additional Chief Secretary of the State has been constituted by the respondent no.1 to enquire into the following issues :

"1. पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में आये कारणों जैसे अभियुक्त विकास दूबे के विरूद्ध जितने भी अभियोग प्रचलित हैं उन पर अब तक क्या प्रभावी कार्यवाही की गयी ? इसके तथा इसके साथियों को सजा दिलाने हेतु कृत कार्यवाही क्या पर्याप्त थी ? इतने विस्तृत आपराधिक इतिहास वाले अपराधी की जमानत निरस्तीकरण की दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ? मु0अ0सं0–65/2020 के आलोक में जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

2. अभियुक्त विकास दूबे के विरूद्ध कितनी जन–शिकायतें आयी और उन पर थानाध्यक्ष चौबेपुर द्वारा तथा जनपद के अन्य अधिकारियों द्वारा क्या जाँच की गयी व पाये गये तथ्यों के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी इसका विस्तृत परीक्षण करना।

3. अभियुक्त विकास दूबे तथा उसके साथियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, एन0एस0ए0 आदि अधिनियमों के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गयी तथा यदि कार्यवाही किये जाने में लापरवाही रही तो किस स्तर पर लापरवाही रही ?

4. अभियुक्त विकास दूबे एवं उसके साथियों के पिछले 01 वर्ष के सी0डी0आर0 का परीक्षण करना एवं उसके सम्पर्क में आये सभी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध संलिप्तता की साक्ष्य मिलने की दशा में उपयुक्त एवं कड़ी कार्यवाही करने की अनुशंसा करना।

5. घटना के दिन क्या अभियुक्तों के पास उपलब्ध हथियारों एवं उसके फायर पावर के विषय में सूचना संकलन में लापरवाही की गयी। यह किस स्तर पर हुई, क्या थाने में इसकी समुचित जानकारी नहीं थी। इस तथ्य को भी जाँच करना एवं दोषी यदि कोई हो तो चिन्हित करना।

6. विकास दूबे एवं उसके साथियों के पास शस्त्र लाइसेंस एवं शस्त्र होना ज्ञात हुआ है। यह देखा जाना होगा कि इतने अधिक अपराधों में संलिप्त रहने के बाद भी इनका हथियार का लाइसेंस किसके द्वारा एवं कैसे दिया गया और लगातार अपराध करने के बाद भी यह लाइसेंस और हथियार उसके पास कैसे बना रहा ?

7. अभियुक्त विकास दूबे एवं उसके साथियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति, व्यापारों एवं आर्थिक गतिविधियों का परीक्षण करते हुए उनके संबंध में युक्तियुक्त अनुशंसाये करना तथा यह भी इंगित करना कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले में किसी प्रकार की ढिलाई, लापरवाही या संलिप्तता तो प्रदर्शित नहीं की एवं यदि ऐसा हुआ है, तो किस स्तर के अधिकारी दोषी हैं ?

8. अभियुक्त विकास दूबे एवं उसके साथियों के द्वारा क्या सरकारी तथा गैर सरकारी जमीनी पर अवैध कब्जा किया गया है ? यदि हां तो इसमें क्या अधिकारियों की भी भूमिका है तथा वह अधिकारी कौन–कौन है, उनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। अवैध कब्जा हटवाना जिन अधिकारियों की

जिम्मेदारी थी, यदि उनके द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटवाया गया है तो उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9. इस प्रकरण के अभियुक्तों व उनके साथियों के साथ पुलिस कर्मियों की संलिप्तता तथा अभियुक्तों व उनके फाइनैन्सर्स की सम्पत्तियों व आय के स्रोतों की जांच प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग से कराने पर भी विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) द्वारा अभिमत उपलब्ध किया जाय।"

7. Learned Additional Advocate General has also submitted that petitioner's prayer for issuance of appropriate direction for constitution of judicial commission has rendered infructuous because on 12.07.2020, State of U.P. has appointed Justice Sri Sashi Kant Agarwal, a former Judge of this Court, as one member Judicial Commission to enquire into the subject matter in question within a period of two months. The notification dated 12.07.2020 has already been issued under Section 3 of the Enquiry Commission Act, 1952. Para-2 to 5 of the notification is relevant, which reads as under :-

"2– अतएव, अब, जांच आयोग अधिनियम , (1952 अधिनियम संख्या 60 सन् 1952) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री शशि कांत अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री राम सरन अग्रवाल, निवासी जे0–404, आदित्य मैगा सिटी, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद को एकल सदस्यीय जांच आयोग, जिसका मुख्यालय कानपुर में होगा, के रूप में नियुक्त करतीं हैं;

3– उक्त आयोग निम्नलिखित बातों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त घटनाओं के सम्बंध में जांच करेगा और उस पर रिपोर्ट देगाः–

1. विकास दूबे तथा उसके साथियों के द्वारा दिनांक 02.07.2020–03.07.2020 की रात्रि में की गयी घटना, जिसमें 08 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई थी तथा अन्य पुलिस कर्मी घायल हुए थे, की गहनापूर्वक जांच किया जाना;

2. दिनांक 10.07.2020 को पुलिस एवं विकास दूबे के मध्य हुई मुठभेड़ की गहनतापूर्वक जांच किया जाना;

3. दिनांक 02.07.2020–03.07.2020 एवं दिनांक 10.07.2020 के मध्य पुलिस और इस प्रकरण से सम्बन्धित अपराधियों के बीच हुई प्रत्येक मुठभेड़ की गहनतापूर्वक जांच किया जाना;

4. विकास दूबे और उसके साथियों की पुलिस तथा अन्य विभागों/ व्यक्तियों से दुरभिसंधि के सम्बंध में गहनापूर्वक जांच

करना और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सुझाव दिया जाना

5. ऊपर उल्लिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित किसी भी पहलू की गहनता से परीक्षण किया जाना

6. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य बिन्दुओं पर जांच किया जाना।

4– राज्यपाल, इस राय के होते हुए कि की जाने वाली जांच की प्रकृति और मामलों की अन्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अग्रतर निदेश देती हैं कि उक्त धारा 5 की उपधारा (2), (3), (4) एवं (5) के उपबन्ध आयोग पर लागू होंगे।

5– उक्त आयोग इस अधिसूचना के जारी किये जाने के दिनांक से दो मास की अवधि के भीतर अपनी जांच पूर्ण कर लेगा इसकी अवधि में किसी प्रकार का परिवर्तन सरकार के आदेश से किया जायेगा।"

8. In these backgrounds, learned Additional Advocate General has submitted that in view of constitution of Special Investigation Team as well as Judicial Commission to enquire into the alleged incident, the present writ petition has lost its efficacy.

9. At this stage, petitioner has submitted that as Judicial Commission has been constituted, the present writ petition has rendered infructuous and, therefore, she may be permitted to withdraw the present writ petition with liberty to file fresh petition.

10. Considering the fact that Special Investigating Team and Judicial Commission have already been constituted by the State of U.P. to enquire into the alleged incident in question, we **dismiss** the present writ petition as withdrawn with liberty to file fresh petition, if occasion arises.

(Karunesh Singh Pawar, J.) (Pankaj Kumar Jaiswal, J.)

Order Date :- 13.7.2020
Ajit/-